FORM No. III

फर्द अहकाम

न्यायालय :– अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वैर संख्या 02 वैर जिला भरतपुर

तारीख हुक्म	मुकट बनाम अध्यक्ष जेवीवीएनएल वगैरह दीवानी प्रकरण संख्या– 18/2025 सीआईएस संख्या– 06/2025	आदेश की पालना बाबत रिपोर्ट
09.03.2026	वकील पक्षकारान उपस्थित। मजीद बहस टी.आई सुनी गयी। इस आदेश के द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी दिनांकित 11.08.2023 का निस्तारण किया जा रहा है। न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय निम्नलिखित तीन बिन्दुओं पर विवेचन किया जाना आवश्यक है जिसमें :– 1. प्रथमदृष्टया मामला 2. सुविधा का संतुलन 3. अपूरणीय क्षति **<u>1. प्रथम दृष्टया मामला</u>–** प्रथम दृष्टया बिन्दू के संदर्भ में दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तर्क पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर 539 रकवा 1.7200 हैक्टेयर वाके ग्राम राजगढ तहसील वैर जिला भरतपुर में स्थित है जिसमें प्रार्थी के पिता 1/4 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है जिसके द्वारा अपनी आराजी को सिंचित करने के लिए उक्त खसरा नंबर में डीप बोर लगवाया गया व अप्रार्थी के कार्यालय से विद्युत कनैक्शन जारी किया गया। उक्त खसरा नंबर में विद्युत उपकरणों को रखने के लिए कोठरी बनी हुई है व पास में ट्रांसफार्मर डीपी के पास में ही हॉल बना हुआ है जिसमें प्रार्थी रिहायश करते चले आ रहे हैं। उक्त विद्युत कनैक्शन खाता संख्या 23040298 से प्रार्थी अपने पिता के जीवन काल से ही अपनी आराजी को सिंचित करने के उपयोग–उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। किंतु खसरा नंबर 541 रकवा 0.1400 हैक्टेयर गैर मुमकिन नरी में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त विद्युत कनैक्शन को अवैध रूप से कराए गए डीप बोर में शिफ्ट कराना चाहते हैं जिस बाबत दिनांक 08.08.2023 को धमकी दी गयी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किए जाने का निवेदन किया गया। इसके जवाब में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा तर्क पेश किया गया कि उक्त विद्युत कनैक्शन अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम से जारी किया गया है व प्रार्थी का उक्त कृषि विद्युत कनैक्शन से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन	

व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

इसके जवाब में अधिवता अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा दौराने बहस तर्क पेश किया गया कि ग्राम राजगढ तहसील वैर जिला भरतपुर में स्थित आराजी खसरा नंबर 539 व अन्य आराजी का अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पिता रामजीलाल व प्रार्थी के पिता किशनसिंह ने अपने जीवनकाल में ही आपसी सहमति व स्वीकृति से बाहमी विभाजन कर लिया था जिसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पिता रामजीलाल ने अपनी आराजी में स्वयं की लागत से न्यारानूर बोर कराया जिसका उक्त विद्युत कनैक्शन अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पिता के नाम से जारी किया गया जिनकी मृत्यु पश्चात उक्त विद्युत कनैक्शन अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम से जारी किया गया जिसका अप्रार्थी संख्या 3 व 4 शांति पूर्वक उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त विद्युत कनैक्शन से प्रार्थी का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर अवस्थित ग्राम राजगढ तहसील वैर जिला भरतपुर की जमाबंदी संवत 2077 का प्रथम दृष्टया अवलोकन करने पर जाहिर होता है कि खसरा नंबर 539 व 541 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम का इंद्राज है। पत्रावली पर अवस्थित विवादित विद्युत कनैक्शन खाता संख्या 23040298 के बिजली बिल के प्रथम दृष्टया अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त विद्युत कनैक्शन अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पिता के नाम जारी किया गया है। इस संबंध में पत्रावली पर अवस्थित इकरारनामा दिनांक 15.07.2020 का प्रथम दृष्टया अवलोकन करने पर जाहिर होता है कि उक्त दस्तावेज अप्रार्थीगण व प्रार्थी के पिता के मध्य निष्पादित किया गया है, जिसके मुताबिक उक्त विवादित विद्युत कनैक्शन के पक्षकार बराबर के हिस्सेदार हैं। अतः पत्रावली पर अवस्थित दस्तावेजों से विवादित कनैक्शन के संबंध में प्रथम दृष्टया रूप से प्रार्थी व अप्रार्थीगण का हक निहित होना प्रकट होता है।

सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षतिः– सुविधा की दृष्टि से व तथ्यों व साक्ष्यों के दोहराव को रोकने के लिए उक्त दोनों बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय बिंदू के संबंध में विचार करें तो दोनों पक्षकारों का ध्यान रखते हुए सुविधा का संतुलन उसी में है कि उक्त विवादित विद्युत कनैक्शन की

स्थिति को यथावत रखा जावे जिससे किसी भी पक्षकार को कोई हानि नहीं हो। चूंकि उक्त विवादित विद्युत कनैक्शन प्रथम दृष्टया प्रार्थी व अप्रार्थीगण के शामलाती उपयोग–उपभोग का प्रकट होता है, ऐसे में जब तक अधिकारों का निर्धारण न हो तब तक मौके और रिकॉर्ड की स्थिति को यदि बनाए रखा जावे तो किसी भी पक्षकार पर विपरीत प्रभाव पडने की कोई संभावना नहीं रहेगी। अतः उक्त दोनों बिंदु प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

फलतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर पक्षकारों को आदेशित किया जाता है कि वे विवादित विद्युत कनैक्शन को अन्यत्र जगह शिफ्ट नहीं करें एवं उक्त विवादित विद्युत कनैक्शन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगे।

आदेश सुनाया गया। इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नही है। अतः पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।